

: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्तालय : सूरत-1

व्यापार सूचना संख्या / TRADE NOTICE NO.35/2008

सूरत, दिनांक / SURAT, DATED : 03.09.2008

विषय: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना का परिचालन ।

* * * * *

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की प्रतियाँ मार्गदर्शन के लिए इस पत्र के साथ प्रेषित है ।

| क्रमांक | अधिसूचना सं. | दिनांक | फा.संख्या |
|---------|---|------------|-----------------------------|
| 01 | 32/2008-Central Excise (N.T.) | 28.08.2008 | 209/09/2008-CX.6 |
| 02 | 33/2008-Central Excise (N.T.) | 28.08.2008 | 208/09/08-CX.6 |
| 03 | 46/2008-Central Excise | 14.08.2008 | 354/104/2003-TRU (Pt.II) |
| 04 | 47/2008-Central Excise | 01.09.2008 | 354/124/2008-TRU |

सभी व्यापार संघो / वाणिज्य मंडलों एवं क्षेत्रीय सलाहकार सिमित के सदस्यों से अनुरोध है की इस व्यापार सूचना के तथ्यों को अपने सदस्यों / घटकों के ध्यान में लाए।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

(वी. के. सिंग)
संयुक्त आयुक्त (तकनीकी)
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,
मुख्यालय, सूरत-1

फाइल सं. V/8-5/Tech/08

सूरत, दिनांक : 03.09.2008

प्रतिलिपी: व्यापार वर्ग व विभागीय कार्यालयों को डाक सूची के अनुसार।
(As per mailing list to Trade and Department)